

जारी
17/02/16

संख्या- 231 / xxxi(15)2016G-07(रा0सू0आ0) / 2015

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2-मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ ।
- 3-समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4-समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून: दिनांक 17 जून, 2016

विषय:- प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

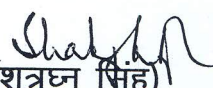
महोदय,

उपयुक्त विषयक के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2012-2013 द्वारा संस्तुति की गई है कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, के अन्तर्गत प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी, प्रथम अपील के निस्तारण में मात्र लोक सूचना अधिकारी को सूचना 10 दिन या एक सप्ताह आदि अवधि में प्रेषित किए जाने के मात्र निर्देश दे रहे हैं, उनके द्वारा यह नहीं देखा जा रहा है कि क्या धारा-8 के विभिन्न प्राविधानों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न मा0 उच्च न्यायालयों द्वारा गारित निर्णयों के परिपालन में सम्बन्धित सूचना दी सकती है कि नहीं, जिस कारण आयोग के समक्ष द्वितीय अपीलें प्रस्तुत करनी पड़ रही हैं। आयोग द्वारा संस्तुति की गयी है कि प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को चाहिए कि 15-15 दिन की तारीखें लगाकर लोक सूचना अधिकारी को सूचना दिए जाने हेतु निर्देशित करें व तब तक अपील का निस्तारण न करें जब तक कि अनुरोध पत्र की सभी दी जाने वाली सूचनायें प्रेषित न कर दी जाये।

2- इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1427/xxx(15)G-07(रा0सू0आ0)/2015 दिनांक 13 जून, 2012 के द्वारा भी प्रथम अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा निर्देश निर्गत किए गये हैं।

3- उत्तराखण्ड सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवदेन 2012-2013 की संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी, प्रथम अपील के निस्तारण में 15-15 दिन की तारीखें लगाकर लोक सूचना अधिकारी को सूचना दिए जाने हेतु निर्देशित करें व तब तक अपील का निस्तारण न करें जब तक कि अनुरोध पत्र की सभी दी जाने वाली सूचनायें प्रेषित न कर दी जाये। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

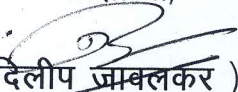

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव।

२३१

संख्या- / xxxi(15)2016G-07(रा0सू0आ0) / 2015, तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून।
- 2-मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
- 3-समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 4-समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5-निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
- 5-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिलीप ज्ञावलकर)
प्रभारी सचिव